



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56841

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8308 वर्ष 2026

नितिन बाटा उर्फ हर्ष तोमर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: औशिम लूथरा, इरशाद हुसैन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनरीक्षित कर दी गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक हलफनामा रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री औशिम लूथरा और राज्य के विद्वान विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 191/2025, धारा 191(2), 140(1), 103(1), 238, 3(5) और 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन कपूरपुर, जिला हापुड़ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत की मांग कर रहा है।

अभियोजन पक्ष की कहानी:

4. आवेदक ने सात अन्य नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर 18.4.2025 को शाम लगभग 5:30 बजे मृतक के साथ कहासुनी की। और आवेदक और अन्य आरोपियों ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी।

5. 5.9.2025 को शाम लगभग 7:00 बजे मृतक नोएडा जाने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसका आधा जला हुआ शव 7.9.2025 को देवराला गांव, पहासू रोड, पुलिस स्टेशन शिकारपुर से बरामद किया गया। इसी दौरान, शिकायतकर्ता को उसके बेटे के फोन से लगातार संदेश मिलते रहे, जिसके कारण शिकायतकर्ता भ्रमित हो गया और पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा सका।

6. सूचनाकर्ता को संदेह था कि आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने साजिश रचकर उक्त हत्या को अंजाम दिया था।

आवेदक की ओर से दलीलें:

7. आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई क्योंकि शिकायतकर्ता का बेटा 5.9.2025 को घर छोड़कर चला गया था, लेकिन एफआईआर 10.9.2025 को दर्ज की गई, यानी पांच दिन की देरी के बाद। इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

9. शव प्राप्त हो चुका था और पोस्टमार्टम भी 8.9.2025 को ही किया गया था, यानी शिकायतकर्ता के बेटे के घर छोड़ने के तीन दिन बाद, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय दो सप्ताह पहले बताया गया है।

10. डॉक्टर ने विशेष रूप से यह पाया कि शव के सड़ जाने के कारण पोस्टमार्टम के निशान स्पष्ट नहीं थे। शरीर सड़ चुका था, दुर्गंध आ रही थी, लगभग 2 सेंटीमीटर के कीड़े मौजूद थे, त्वचा छिल गई थी, अंडकोष और पेट फूले हुए थे, जिससे संकेत मिलता है कि मृत्यु उक्त बयान से बहुत पहले हुई थी जिसमें सूचनाकर्ता ने अपने बेटे के 5.9.2025 को घर छोड़ने की बात कही थी।

11. सूचनाकर्ता ने बाद में अपना बयान बदल दिया और एक अंतिम बार देखे जाने का गवाह बनाया गया। यह गवाह फिरोज है, जिसका बयान 14.9.2025 को दर्ज किया गया था। उसने बताया कि उसने आवेदक और अन्य सह-आरोपी व्यक्ति को मृतक के साथ 4.9.2025 को देखा था, यानी मृतक के घर छोड़ने से एक दिन पहले। यह कहानी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर से इसकी पुष्टि नहीं होती है।

12. मृतक के बैग की झूठी बरामदगी का आरोप आवेदक पर तब लगाया गया जब उसे गिरफ्तार किया गया था। मृतक के उक्त बैग में आधार कार्ड और मृतक से संबंधित अन्य दस्तावेज थे। आवेदक के पास उन दस्तावेजों और बैग को अपने साथ ले जाने का कोई कारण नहीं था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. आवेदक के आपराधिक इतिहास का विवरण दिया गया है। वह 24.9.2025 से जेल में बंद है। वह मुकदमे में सहयोग करने और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करने का वचन देता है।

राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क:

14. जमानत याचिका का विरोध किया गया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खंडन नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष:

15. *प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648* मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता है, तो जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

16. "दोषी सिद्ध होने तक निर्दोषता की धारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, जमानत को एक नियम और कारावास को एक अपवाद के रूप में स्थापित करता है।

17. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है, जब तक कि दोष उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने *सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 आईएनएससी 690* में दोहराया है।

18. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने *मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 आईएनएससी 595* के मामले में फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि “जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है”।

19. विद्वान ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी कोई भी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करे।

20. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। कोई भी महत्वपूर्ण विवरण या परिस्थितियाँ जो आवेदक द्वारा न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने या बार-बार अपराध करने या गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में अन्य परेशानियाँ पैदा करने का संकेत देती हों, विद्वान ए.जी.ए./राज्य विधि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों, एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. आवेदक नितिन बाटा उर्फ हर्ष तोमर को व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों। जमानतियों के सत्यापन के अधीन, इस शर्त के साथ कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को डराएगा नहीं और आवश्यकतानुसार अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

23. किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का कारण बनेगा। यहां दिए गए अवलोकन मामले की गुण-दोष पर विचार को प्रभावित नहीं करेंगे।

19 मार्च, 2026

विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”